<u>न्यायालयः— श्रीमती मीनल श्रीवास्तव, न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी</u>

<u>इटारसी, जिला होशंगाबाद (म0प्र0)</u>

आप0प्र0कं0ः—305 / 12
संस्थित दिनांकः—13.04.2012
केन्द्रीय पंजीयन कं. 233702001102012

मध्य प्रदेश राज्य द्वारा
आरक्षी केन्द्र इटारसी,
जिला—होशंगाबाद म.प्र. .....**<u>अभियोगी।</u>**

विरुद्ध

संतोष आत्मज भैयालाल, उम्र—36 वर्ष,
निवासी— भौंरा, थाना शाहपुरा,
जिला—बैतूल म.प्र.....**आरोपी ।**

/ /<u>नि र्ण य</u> / /

(आज दिनांक 07 / 03 / 2018 को घोषित)

1. आरोपी पर भारतीय दंड संहिता की धारा 456 के अधीन दंडनीय अपराध का आरोप है कि उसने दिनांक 02.04.2012 को रात्रि 00:45 बजे फरियादी अजिंद्र अरोरा का मकान पंजाबी मोहल्ला इटारसी थाना इटारसी में कारावास से दंडनीय अपराध करने के लिये फरियादी अजिंद्र अरोरा के मानव रहवास वाले स्थान में प्रवेश कर रात्रों प्रछन्न गृह अतिचार कारित किया।

2. अभियोजन का मामला संक्षेप में इस प्रकार है कि फरियादी अजिंद्र अरोरा ने थाना इटारसी में इस आशय की रिपोर्ट दर्ज कराई कि दिनांक 02.04. 2012 को रात्रि करीब 00:45 बजे उसकी लडकी सोनाली अरोरा बाथरूम करने गयी तो देखा बाथरूम के अंदर से दरवाजा बंद था। अंदर एक व्यक्ति के होने की आहट मिली तो उसकी लडकी ने सभी परिवार वालों को बुलाया। जो व्यक्ति अंदर था उसे दरवाजा खोलने के लिये कई बार जोर जोर से कहा गया फिर भी उसने अंदर से दरवाजा नहीं खोला तो उसके लडके आशीश ने अन्य दोस्तों राहुल डोंगरे एवं राम यादव को बुलाकर एवं उनकी मदद से दरवाजा तोडा और उसे बाहर निकाला तथा नाम पूछा तो उसने अपना नाम संतोष बताया। वह किसी अपराध को करने के लिये उनके घर में घुसा था। फरियादी की उक्त आशय की रिपोर्ट पर आरक्षी केन्द्र इटारसी के द्वारा अपराध कं. 191 / 12 पर प्रथम सूचना रिर्पोट लेखबद्ध कर विवेचना की गई और सम्पूर्ण विवेचना उपरांत यह अभियोगपत्र कमांक 127 / 12 न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया।

3. इस न्यायालय द्वारा आरोपी को धारा 456 भा.दं.सं का आरोप पढ़कर सुनाये जाने पर आरोपी ने उक्त आरोप से इंकार कर विचारण चाहा। धारा 313 दंप्रसं के अधीन अभियुक्त परीक्षण किये जाने पर आरोपी ने स्वयं का निर्दोष होना तथा उसे झूठा फंसाया जाना व्यक्त किया। बचाव में प्रविष्ट कराये जाने पर

उसके द्वारा कोई बचाव साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गयी।

4. न्यायालय के समक्ष विचारणीय प्रश्न यह है कि:—

क्या आरोपी ने दिनांक 02.04.2012 को रात्रि 00:45 बजे फरियादी अजिंद्र अरोरा का मकान पंजाबी मोहल्ला इटारसी थाना इटारसी में कारावास से दंडनीय अपराध करने के लिये फरियादी अजिंद्र अरोरा के मानव रहवास वाले स्थान में प्रवेश कर रात्रों प्रछन्न गृह अतिचार कारित किया ?

//<u>सकारण निष्कर्ष</u>//

5. इस संबंध में फरियादी अजिंद्र अरोरा {अ.सा.1} ने अपने मुख्यपरीक्षण में व्यक्त किया है कि घटना उसके न्यायालयीन कथन दिनांक से लगभग तीन वर्ष पूर्व की रात के 10 से 12 बजे की है। वह अपनी ड्यूटी पूरी करके रात के करीब दस बजे अपने घर पंजाबी मोहल्ला में पहुंचा और खाना खाने के बाद वह और उसका परिवार सोने की तैयारी कर रहा था इतने में उसकी लड़की सोनाली बाथरूम गयी तो देखा कि अंदर से दरवाजा लगा हुआ था। उसकी लडकी सोनाली ने बाथरूम का दरवाजा खटखटाया तो अंदर से एक अज्ञात व्यक्ति ने कहा कि कुछ लोग उसे मार रहे हैं इसलिये वह अंदर छिप गया है तब उसकी पत्नि ने कहा कि वे लोग बाहर चले जाते हैं वह निकल जाये परंतु वह नहीं निकला। आगे इस साक्षी ने व्यक्त किया है कि इसी दौरान मोहल्ले के बहुत से लोग इकट्ठे हो गये फिर उसने पुलिस को फोन किया और पुलिस ने आकर दरवाजा तोड़कर उस व्यक्ति को बाहर निकाला। उसका नाम पता पूछा तो उसने अपना नाम संतोष बताया फिर उन्होंने घटना की रिपोर्ट प्र0पी0 1 थाने में की तदोपरांत पुलिस ने घटना स्थल का नक्शामौका प्र0पी0 2 तैयार किया, आरोपी को गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पंचनामा प्र0पी0 3 तैयार किया और उससे पूछताछ कर उसके बयान लिये। प्रतिपरीक्षण में इस साक्षी ने आरोपी के विद्वान अधिवक्ता के इस सुझाव को स्वीकार किया है कि वह आरोपी को नहीं पहचान सकता है।

6. फरियादी के उक्त कथनों का समर्थन आशीष अरोरा {अ.सा.3}, सोनाली {अ.सा.5} तथा कमला अरोरा {अ.सा.6} ने भी अपने न्यायालयीन कथन में किया है। उक्त तीनों ही साक्षीगण ने भी आरोपी को पहचानने से इंकार किया है।

7. शिवप्रसाद तिवारी {अ.सा.2} ने व्यक्त किया है कि वह दिनांक 02.04.2012 को थाना इटारसी में प्रधान आरक्षक के पद पर पदस्थ था। उक्त दिनांक को फरियादी ने थाने आकर प्र0पी01 की मौखिक रिपोर्ट दर्ज कराई थी जो कि फरियादी के बताये अनुसार ही उसने लेखबद्ध की थी। एम0एस0 राजपूत {अ.सा.4} ने व्यक्त किया है कि वह दिनांक 02.04.2012 को थाना इटारसी में प्रधान आरक्षक के पद पर पदस्थ था। उक्त दिनांक को प्रकरण की केस डायरी प्राप्त होने पर उसने घटना स्थल पर जाकर नक्शामौका प्र0पी0 2 तैयार किया था, आरोपी को गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पंचनामा प्र0पी0 3 तैयार किया था तथा साक्षीगण अनिल, सोनाली, कमला एवं आशीष के कथन उनके बताये अनुसार लेखबद्ध किये थे। उक्त दोनों ही साक्षीगण के प्रतिपरीक्षण में ऐसा कोई सारभूत विरोधाभास अथवा विसंगति दृष्टिगत नहीं हुई है जिससे कि उसकी विश्वसनीयता दूषित होती हो।

8. अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्य के उक्त समग्र परिशीलन से दर्शित है कि फरियादी अजिंद्र अरोरा {अ.सा.1} तथा सभी प्रत्यक्ष साक्षीगण आशीष अरोरा {अ.सा.3}, सोनाली {अ.सा.5} तथा कमला अरोरा {अ.सा.6} ने आरोपी संतोष को पहचानने से इंकार किया है। ऐसी दशा में उक्त साक्षीगण की मूल साक्ष्य के अभाव में पुलिसकर्मीगण शिवप्रसाद तिवारी {अ.सा.2} तथा एम.एस. राजपूत {अ.सा.4} की समर्थनकारी साक्ष्य के आधार पर आरोपी को दोषसिद्ध नहीं किया जा सकता है। अभिलेख पर आरोपी के विरूद्ध ऐसा कोई ठोस, विश्वसनीय एवं सारवान प्रमाण उपलब्ध नहीं है जो कि उसकी अपराध में संलिप्तता को दर्शित करता हो।

09. स्पष्ट है कि अभियोजन आरोपी के विरूद्ध अपना मामला युक्तियुक्त रूप से संदेह से परे प्रमाणित करने में पूर्णतः असफल रहा है। परिणामस्वरूप आरोपी को भा.दं.सं की धारा 456 के अधीन दण्डनीय अपराध के आरोप से दोषमुक्त किया जाता है।

10. आरोपी के जमानत व मुचलके पूर्व से ही निरस्त हैं।

11. प्रकरण में धारा 428 दंप्रसं के अधीन पृथक से प्रमाण पत्र तैयार कर अभिलेख में संलग्न किया जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में दिनांकित,
हस्ताक्षरित कर घोषित किया। मेरे बोलने पर टंकित।

(श्रीमती मीनल श्रीवास्तव)
न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी
इटारसी, जिला–होशंगाबाद

(श्रीमती मीनल श्रीवास्तव)
न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी
इटारसी, जिला–होशंगाबाद

सामान्य जानकारी हेतु प्रतिलिपि (शासकीय / विधिक उपयोग हेतु अन्य)